फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री राजकुमार चरनाल पिता अम्बालाल चरनाल निवासी चॉदपोल बाहर कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द —**अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

— **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 49/2021**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 08.02.2022

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांकः सू.अ./2021/3872–73 दिनांक 28.12.2021 से प्राप्त रिपोर्टानुसार प्रार्थी के आवेदन पर बिन्दुवार चाही गई सूचना के संबंध मे अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 01, 02 के संबंध में इस कार्यालय के जरिये पत्रांक 597 दिनांक 22.09.2021 से वांछित सूचना भिजवायी जा चुकी है। परन्तु प्रार्थी के द्वारा आक्षेप किया है कि बिन्दु संख्या 02 की अधुरी सूचना दी गई । इस संबंध में दिनांक 15.12.2021 को तहसीलदार, राजसमन्द को पत्र लिखा जाकर रिपोर्ट मंगवाई गई। प्रस्तुत अपील के संबंध में बिन्दुवार रिपोर्ट निम्नानुसार हैः—

01. प्रार्थी के जाति प्रमाण पत्र के आवेदन पत्र प्रार्थी को मूल निवास, राशन कार्ड व समुदाय का प्रुफ संलग्न करने का तहसील कार्यालय राजसमन्द द्वारा आक्षेप लगाया गया। जिस पर प्रार्थी द्वारा समुदाय का प्रुफ नहीं लगाया गया।
02. प्रार्थी द्वारा दूसरी बार रिसबमिट करने पर तहसील कार्यालय द्वारा पिताजी का अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र व भूमि की जमाबंदी नकल संलग्न करने का आक्षेप लगाया गया। उक्त आक्षेप की पूर्ति भी प्रार्थी नहीं की गई।

प्रार्थी द्वारा कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग के क्रमांक प. 104/नि.अ.मा.वि./अ. प्रमाण पत्र/2016/12283 दिनांक 14.08.2017 मे दिए गए दिशा निर्देश के बिन्दु संख्या डी के अनुसार पालना प्रस्तुत नहीं की गई। अतः प्रार्थी का अल्पसंख्यक आवेदन पत्र तहसीलदार, राजसमन्द द्वारा निरस्त किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत दिनांक 09.09.2021 को आपके कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र का अवलोकन किया जाकर बिन्दु संख्या 01 व 02 की सूचना जो आपके कार्यालय के अभिलेख पर उपलब्ध है, के अनुसार अपीलार्थी को नियमानुसार 15 दिवस में उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें। अतः उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती हैं।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)